ए.

भाग्यशाली ज़चारीया @ज़ैक नेदुमचिरा लुक और अन्य

बनाम

जोसेफ जोसेफ और अन्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 256) 18 फरवरी, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एसएस।173(2), 173(8), 173(3), 173(6) – प्रारंभिक रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट-मजिस्ट्रेट का कर्तव्य-विनय त्यागी बनाम इरशाद अली में निर्धारित कानून के अनुसार जब भी मूल पुलिस रिपोर्ट के बाद पूरक पुलिस रिपोर्ट दायर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को दोनों रिपोर्टों पर संयुक्त रूप से विचार करना होता है और केवल पूरक पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए-दोनों रिपोर्टों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह मानने के लिए आधार मौजूद हैं कि आरोपी ने अपराध किया है।

सी.

डी.

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-**सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को इस सरल कारण से दरकिनार कर दिया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट के बाद**,** मजिस्ट्रेट विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में निर्णय के पैराग्राफ **42** में दिए गए कथन के साथ**-**साथ विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में कर्तव्यबद्ध था ताकि कानून के अनुसार आगे उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करने से पहले मूल रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार किया जा सके।मजिस्ट्रेट ने ऐसा न करने के बाद**,** मजिस्ट्रेट को कार्यवाही वापस करना आवश्यक था ताकि दोनों रिपोर्टों को रिपोर्टों और उनसे संलग्न दस्तावेजों के संचयी प्रभाव**,** यदि कोई हो**,** का विश्लेषण करके संयुक्त रूप से पढ़ा जा सके**,** यह निर्धारित करते हुए कि क्या यह मानने के लिए आधार मौजूद हैं कि अपीलार्थियों ने अपराध किया है।**[**पैरा **15] [923-**एफ**-**एच**; 924-**ए**]**

ई.

एफ.

जी.

विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एससीसी 762:[2012] 13

एस**.** सी**.** आर**. 1005;** विनुभाई हरिभाई मालवीय बनाम राज्य

गुजरात (2019) 17 एससीसी 1:[2019] 15 एस. सी. आर. 936-पर निर्भर।

जोसेफ बनाम एंटनी जोसेफ 2018 (3) केएचसी 23-संदर्भित।

एच.

917 ए.

918 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

[2012] 13 एससीआर **1005**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **6 (i)**

[2019] 15 एससीआर **936**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 256।

बी.

सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.03.2021 के निर्णय और आदेश से। 2020 (एच) का एम. सी. No.2240।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, रागेंथ बसंत, मनु कृष्णन, अर्जुन सिंह भाटी, सुश्री रूपाली लखोटिया, सुश्री ऊर्जा पांडे, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सी.

डॉ. एस. गोपकुमारन नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. जी. नारायणन नायर, सूरज टी. एलेन्जिकल, सुश्री प्रिया बालकृष्णन, अश्विन कुमार एम. जे., हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, श्रीमती एशली हर्षद, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

ई.

2. यह अपील केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 3 मार्च 2021 के फैसले उद्भूत हुई है है।

3. 3 फरवरी 2016 को, भारतीय दंड संहिता 1806 की धारा 34 सहपठित धारा 295 (बी), 323 और 324 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन अलाप्पुझा उत्तर में 2016 की प्राथमिकी 205 दर्ज की गई थी।प्रथम अपीलार्थी को द्वितीय अभियुक्त, द्वितीय अपीलार्थी को तृतीय अभियुक्त और तृतीय अपीलार्थी को प्रथम अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था।26 सितंबर 2016 को, अलप्पुझा उत्तर पुलिस स्टेशन में पुलिस उप-निरीक्षक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थियों को कथित अपराधों के करने में शामिल किया गया था।जे. एफ. सी. एम. न्यायालय-I, अलप्पुझा के समक्ष मामले को 2016 के सी. सी. सं. 2177 के रूप में गिना गया।

एफ.

जी.

4. पहले अपीलार्थी ने पुलिस अधीक्षक और आई. जी. पी. से झूठा मामला दर्ज करने की शिकायत की और मामले में आगे की जांच की मांग की।21 फरवरी 2017 को डिप्टी एसपी ए.

एच.

919

लुकोस ज़चारीया @ज़ाक नेदुमचिरा लुके बनाम जोसेफ़ जोसेफ़ [डॉ. धनंजय वाई चंदरचूड़, जे.] ए.

(प्रशासन) अलप्पुझा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लिखा था कि पहले की जांच में गंभीर खामियां थीं।6 दिसंबर 2017 को, डिप्टी एसपी क्राइम ब्रांच ने जेएफसीएम कोर्ट-I, अलप्पुझा की न्यायालय के समक्ष एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही को इस आधार पर हटाया जाए कि आगे की जांच के दौरान कोई अपराध स्थापित नहीं हुआ था।

बी.

5. प्रथम प्रत्यर्थी ने एक विरोध याचिका दायर की।19 मई 2018 के एक आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट ने अभियोजन के अभाव में विरोध याचिका को खारिज कर दिया।30 मई 2018 को, मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सी.

6. जिस प्रथम प्रत्यर्थी के कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय, अलप्पुझा के समक्ष चुनौती दी।पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, सत्र न्यायाधीश ने 26 अक्टूबर 2019 को मजिस्ट्रेट के आदेश अपास्त करना कर दिया और मजिस्ट्रेट को मामले को फाइल पर लेने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।ऐसा करते समय, सत्र न्यायाधीश ने जोसेफ बनाम एंटनी जोसेफ 1 में केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया।सत्र न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया।उच्च न्यायालय ने 3 मार्च 2021 के अपने विवादित फैसले में निम्नलिखित आधारों पर याचिका खारिज कर दीः

डी.

ई.

(i) धारा 173 की उप-धारा (2) और (8) के तहत प्रस्तुत सकारात्मक और नकारात्मक रिपोर्टों को यह निर्धारित करने के लिए संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए कि क्या यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।रिपोर्टों का कोई अलग अस्तित्व नहीं है।इस स्थिति का निपटारा विनय मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से होता है।

एफ.

त्यागी बनाम इरशाद अली **2;**

((ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) या धारा 173 (8) के तहत किसी रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका भरने की कोई गुंजाइश नहीं है। विरोध याचिका और गैर-अभियोजन के लिए इसकी बर्खास्तगी का कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है; और

जी.

(iii) एक विरोध याचिका का दायरा केवल तभी उत्पन्न होगा जब दोनों रिपोर्ट यानी धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट।

1 2018 (3) केएचसी 23 2 (2013) 5 एससीसी 762

एच.

सी. आर. पी. सी. और धारा 173 (8) सी. आर. पी. सी. के तहत पूरक रिपोर्ट "नकारात्मक रिपोर्ट" हैं।

7. 13 दिसंबर 2021 को विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थियों की दलीलें दर्ज की गई थीं:

बी.

“1 याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर बसंत ने इस निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि

विनय त्यागी बनाम इरशाद आलिया उर्फ दीपक मामले में यह न्यायालय

(2013) 5 एस. सी. सी. 762, (पैराग्राफ 41 और 42) ने प्रस्तुत किया कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 (8) के तहत एक पूरक रिपोर्ट आगे की जांच के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, इसलिए मजिस्ट्रेट को धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट के साथ-साथ पूरक रिपोर्ट दोनों को ध्यान में रखना होगा और फिर यह निर्धारित करना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए कोई आधार है।हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर, जिसे सत्र न्यायाधीश के आदेश में उद्धृत किया गया है, केवल धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, जबकि पूरक रिपोर्ट को विचार के चरण में ध्यान में रखा जाएगा।2 नोटिस जारी करें, जो 18 फरवरी 2022 को वापस किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

3 जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, सेवा की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

4 आगे के आदेशों को लंबित रखते हुए, न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-I, अलप्पुझा के समक्ष लंबित सीसी 2177/2016 में आगे की कार्यवाही पर रोक होगी।”

एफ.

8. नोटिस जारी करने के आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी इन कार्यवाही में उपस्थित हुए हैं। तदनुसार, हमने श्री आर बसंत को सुना है, जो अपीलार्थियों की ओर से श्री रागेंथ बसंत और डॉ

एस गोपकुमारन नायर के साथ पेश हुए, जो श्री टी जी नारायणन नायर के साथ पहले प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

9. न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसे जांच के बाद सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में पाया गया कि प्रथम दृष्टया अपीलार्थियों कथित अपराधों को करने में शामिल थे।धारा 173 (8) के तहत बाद की रिपोर्ट हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्टया अपराध करने से जुड़ा कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है।

जी.

एच.

921

लुकोस ज़चारीया @ज़ैक नेदुमचिरा लुके बनाम जोसेफ जोसेफ़ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

10. विनय त्यागी (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के आदेशों के तहत या पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से की गई आगे की जांच से पूरक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।न्यायालय ने कहा कि धारा 173 की उप-धारा 3 से 6 के प्रावधानों को देखते हुए पूरक रिपोर्ट पर "प्राथमिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में" विचार करना होगा।

बी.

11. धारा 173 (8) विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

“(8) उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद इस धारा की किसी भी बात को अपराध के संबंध में आगे की जांच में बाधा नहीं माना जाएगा और जहां ऐसी जांच के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी और साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, तो वह मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के बारे में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा और उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जो वे उप-धारा (2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।”

सी.

डी.

12. धारा 173 की उप-धारा 8 के संदर्भ में, आगे की जांच की स्थिति में, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए, जिस पर, उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान (जहां तक हो सके) ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जो वे उप-धारा (2) में भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, विनय त्यागी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः“42. इन दोनों रिपोर्टों को एक साथ पढ़ना होगा

और यह रिपोर्टों और उससे संलग्न दस्तावेजों का संचयी प्रभाव है जिससे न्यायालय से यह निर्धारित करने के लिए अपने दिमाग को लागू करने की उम्मीद की जाएगी कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार मौजूद है कि आरोपी ने अपराध किया है।यदि उत्तर नकारात्मक है, तो इन रिपोर्टों के आधार पर, न्यायालय संहिता की धारा 227 के प्रावधानों के अनुपालन में एक आरोपी को आरोपमुक्त करेगी।"13. विनय त्यागी (उपरोक्त) के फैसले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस न्यायालय के अन्य फैसलों के साथ देखा गया था।

ई.

एफ.

जी.

विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य **3.**इस न्यायालय ने कहाः

"42. इन फैसलों में न्यायालय द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिया गया है कि प्रक्रिया जारी होने पर मजिस्ट्रेट की आगे की जांच का आदेश देने की शक्तियां अचानक क्यों बंद हो जाएंगी, और एक अभियुक्त

3 (2019) 17 एससीसी 1

एच.

मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होते हुए, अपराध की आगे की जाँच करने की पुलिस की शक्ति मुकदमा शुरू होने तक जारी रहती है।इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय के पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं होगा, विशेष रूप से, सकिरी [सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एस. सी. सी. 409:(2008) 1 एससीसी (सीआरआई)

440], समाज परिवर्तन समुद्र [समाज परिवर्तन]

बी.

समुद्र बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 7 एस. सी. सी. 407:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 365], विनय त्यागी [विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, (2013) 5 एस. सी. सी. 762:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 557], और हार्डीप सिंह (हार्डीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 92:(2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86; (2014) 3 एस. सी. सी. 92:(2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आर.

आई.) 86] ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक मुकदमा संज्ञान लेने के बाद शुरू नहीं होता है, बल्कि आरोप तय होने के बाद ही शुरू होता है।इस न्यायालय के हाल के फैसलों में जिस बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है, वह है संविधान का अनुच्छेद 21 और यह तथ्य कि अनुच्छेद एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच से कम की मांग नहीं करता है।यह कहना कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच से यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुलिस धारा 173 (8) के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अधीन किसी अपराध की आगे की जांच करने की शक्ति बरकरार रखेगी, जब तक कि आरोप तय नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह कि मजिस्ट्रेट की पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार अचानक मुकदमे से पहले की कार्यवाही के बीच में ही बंद हो जाती है, न्याय का उपहास होगा, क्योंकि कुछ मामले आगे की जांच के लिए पुकार कर सकते हैं ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जाए या कि एक प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्ति को इस तरह नहीं छोड़ा जाए।मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में इस तरह के संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के लिए कोई वारंट नहीं है, विशेष रूप से जब ऐसी शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (1), धारा 2 (एच) और धारा 173 (8) सहपठित धारा 156 (3) के लिए पता लगाने योग्य हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, और मुकदमा वास्तव में शुरू होने से पहले एक आपराधिक मामले की प्रगति के सभी चरणों में उपलब्ध होगा।यह न्याय के हित में भी होगा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाए।आगे की जाँच का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह विद्वान मजिस्ट्रेट के विवेक के भीतर है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर और कानून के अनुसार इस तरह के विवेक का प्रयोग करेगा।उदाहरण के लिए, यदि नए तथ्य सामने आते हैं जो कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराने या दोषमुक्त करने की ओर ले जाते हैं, तो सच्चाई पर पहुंचना और आपराधिक मामले में पर्याप्त न्याय करना आपराधिक ए को समाप्त करने में और देरी से बचने से अधिक महत्वपूर्ण है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

923

लुकोस ज़चारीया @ज़ाक नेदुमचिरा लुके बनाम जोसेफ़ जोसेफ़ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

कार्यवाही, जैसा कि हसनभाई वलीभाई कुरैशी [हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, (2004) 5 एस. सी. सी.

347 :2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1603]अतः इस हद तक कि

अमृतभाई शंभूभाई पटेल [अमृतभाई शंभूभाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल, (2017) 4 में निर्णय

एससीसी 177:(2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 331], अतुल राव [अतुल राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2018) 14 एस. सी. सी. 298:(2019) 1 एससीसी (सीआरआई)

बी.

594] और बिकाश रंजन राउट [बिकाश रंजन राउट बनाम राज्य]

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2019) 5 एस. सी. सी. 542:(2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613] ने इसके विपरीत माना है कि वे खारिज किए गए हैं।जोड़ने की जरूरत नहीं है,

रणधीर सिंह राणा बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [रणधीर सिंह

राणा बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1997) 1 एस. सी. सी. 361 और रीता नाग बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य। [रीता नाग बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (2009) 9 एस. सी. सी. 129: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1051] को भी खारिज कर दिया गया है।"

सी.

14. वर्तमान मामले में, न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड इंगित करता है कि पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, जेएफसीएम कोर्ट-I, अलप्पुझा ने 19 मई 2018 के एक आदेश द्वारा पहले प्रत्यर्थी द्वारा गैर-अभियोजन के लिए प्रस्तुत विरोध याचिका को खारिज कर दिया।30 मई 2018 को, जे. एफ. सी. एम. निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में पूरक रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ाः

डी.

"रिकॉर्ड से पता चलता है कि आगे की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप भेजा है।डीफैक्टो शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया और उसने संदर्भ आरोप के खिलाफ सी. एम. पी. 155/2018 दायर किया।अभियोजन न चलाने के कारण इसे 19.05.2018 पर खारिज कर दिया गया था।इसलिए, आरोप को गलत बताते हुए अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है।इसलिए, आगे की कार्यवाही को छोड़ दिया जाता है।इसलिए मामले में आगे की कार्यवाही बंद कर दी गई।"

ई.

एफ.

15. सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को इस सरल कारण से दरकिनार कर दिया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट के बाद, मजिस्ट्रेट विनय त्यागी (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 42 में दिए गए कथन के साथ-साथ विनूभाई हरिभाई मालवीय (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में कर्तव्यबद्ध था ताकि कानून के अनुसार आगे उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करने से पहले मूल रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार किया जा सके।मजिस्ट्रेट ने ऐसा न करने के बाद, कार्यवाही को मजिस्ट्रेट को वापस करना आवश्यक था ताकि दोनों रिपोर्टों को रिपोर्टों और उनसे संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, के संचयी प्रभाव का विश्लेषण करके संयुक्त रूप से पढ़ा जा सके, यह निर्धारित करते हुए कि क्या यह मानने के लिए आधार मौजूद हैं कि अपीलार्थियों

अपराध किया है।सत्र न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट को कार्यवाही बहाल करने का आदेश उस हद तक सही था।हालाँकि, सत्र न्यायाधीश ने जोसेफ (उपरोक्त) मामले में केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था किः“7. [...] जब Cr.P.C की धारा 173 (2) के तहत एक सकारात्मक रिपोर्ट के बाद धारा 173 (8) Cr.P.C के तहत एक नकारात्मक रिपोर्ट आती है और पूर्व रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट बाद की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए मामले में आगे बढ़ेगा।लेकिन पूरक रिपोर्ट और उससे जुड़े कागजात मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और मुकदमे में इनका उपयोग किया जा सकता है।मुझे इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए Crl.M.C का निपटान करना चाहिए।”16. विनय त्यागी (ऊपर) और विनुभाई हरिभाई मालवीय (ऊपर) दोनों मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों में जो कानून की स्पष्ट स्थिति व्यक्त की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह दोनों रिपोर्टों, प्रारंभिक रिपोर्ट जो धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत की गई थी और साथ ही पूरक रिपोर्ट जो धारा 173 (8) के संदर्भ में आगे की जांच के बाद प्रस्तुत की गई थी, को ध्यान में रखे।इसके बाद मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाना होगा कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों ने अपराध किया है।जबकि उच्च न्यायालय ने विनय त्यागी (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया है, इस न्यायालय के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को किसी भी विवाद से परे रखना आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को कार्यवाही वापस भेजते समय जोसेफ (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया था जो विनय त्यागी में निर्धारित स्थिति के विपरीत है।

इसलिए जे. एफ. सी. एम.-I अलप्पुझा विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ मामले में इस न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में दोनों रिपोर्टों की फिर से जांच करेगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

दीपक और विनुभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य जैसा कि उल्लेख किया गया है

ऊपर और वर्तमान निर्णय में निहित टिप्पणियों के संदर्भ में।मजिस्ट्रेट वर्तमान आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर तेजी से एक सुविचारित निर्णय लेगा।

17. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

जी.

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.